



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH

VIPIN KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW

**PERMIT TO BULD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY AREA-
LUCKNOW**

PRINT DATE :- 21/12/2016

APPLICATION NO: 51795

FILE NO :

NR-255/EE/M.CELL/2016

WARD:

SCHEME :

NonScheme-MapApproval

PERMIT NO: 40899

SITE OF

GROUP HOUSING

SECTOR :

PROPERTY NO KH.NO. 58 TO 61, 83, 84, 85/1 & 85/2
AT MOHIBULLAH PUR, SITAPUR
ROAD

NAME:

ELDECO HOUSING & IND. LTD

Address:

VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR LUCKNOW

Sanction vide order dated **17/10/2016** of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity: 16/10/2021

or expiry date of Lease deed whichever is earlier

Restriction If Required:

12/12/2016
Signature of Competent Authority (BHAWAN)
Under the U.P

प्रतिबन्ध-

1. अग्निशमन विभाग की अनापत्ति में अंकित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
2. भवन निर्माण में नेशनल सेफटी काउंसिल तथा लेबर एक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त सुरक्षा प्रबन्धों को सनिश्चित करना होगा।
3. शासनादेश के क्रम में समस्त भूकम्परोधी प्रबन्ध, रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सोलर वाटर हीटिंग व वृक्षारोपण, लैण्ड स्केपिंग का विकास आदि का प्रबन्ध सुनिश्चित करना होगा।
4. समस्त अवस्थापना सुविधाओं का विकास, सीवरेज का विकास/कनेक्टिविटी, कूड़ा हेतु स्थान का प्राविधान तथा सुरक्षित डिस्पोजल हेतु प्राविधान स्वतः सुनिश्चित करना होगा।
5. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना होगा।
6. विकलांग, दृष्टिबाधित व आशक्त व्यक्तियों के भवन में आवागमन हेतु शासनादेश के अनुसार प्रबन्ध करना होगा।
7. पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त जारी होने के उपरान्त ही भवन का उपयोग किया जायेगा।
8. भू-स्वामित्व तथा भूमि वाद-विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
9. अपार्टमेंट एक्ट का पालन सुनिश्चित करना होगा।
10. जिलाधिकारी से खनन पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
11. बेसमेंट का निर्माण कराते समय अगल-बगल की सम्पत्ति की सुरक्षा करनी होगी, किसी प्रकार की क्षति होने पर समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
12. पार्किंग स्थल का उपयोग पार्किंग के रूप में ही करना होगा, अन्य उपयोग करने पर मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
13. सड़क विस्तार हेतु छोड़ी गयी भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
14. स्वीकृत मानचित्र परमिट को भूमि का स्वामित्वाधिकार नहीं समझा जायेगा तथा सम्पत्ति के क्रय-विक्रय हेतु अपना स्वामित्व स्वतः प्रमाणित किया जायेगा।
15. प्रस्तुत शपथ पत्र के क्रम में निर्माण लागत का 1 प्रतिशत लेबर सेस श्रम मंत्रालय में जमा कराना होगा।

Shin
27/12/16
*